

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना (मु0मं0घो0) के अन्तर्गत सुमाडी विराणगांव जाखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 10 किमी0 (वास्तविक लम्बाई 8.075 किमी0)

एन0पी0वी0 जमा कराये जाने का प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में एन0पी0वी0 की देय धनराशि लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग के पक्ष में जमा करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा एन0पी0वी0 की धनराशि में कोई बढोतरी की जाती है तो एन0पी0वी0 की अतिरिक्त धनराशि भी ~~ग्राम्य~~ लोक विकास विभाग रुद्रप्रयाग द्वारा जमा करा दी जायेगी।

निर्माण


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग


सहायक अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग


अधिशासी अभियन्ता
प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0
रुद्रप्रयाग

एन0पी0वी0 की धनराशि जमा करने सम्बन्धी प्रमाण पत्र

(माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2008 व 09.05.2008 के अनुसार)

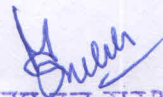
परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना (मु0मं0घो0) के अन्तर्गत सुमाडी विराणगांव जाखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 10 किमी0 (वास्तविक लम्बाई 8.075 किमी0)

प्रमाणित किया जाता है कि सम्बन्धित वन क्षेत्र (सिविल/आरक्षित) माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 28.03.2008 के अनुसार निर्धारित इको क्लास V के अन्तर्गत आता है।

उपरोक्तानुसार उक्त वन क्षेत्र Open Forest/Dense Forest/ Semi Dense Forest की श्रेणी में आता है। जिस हेतु एन0पी0वी0 की धनराशि की प्रति है0 दर रुपये 845000/- (अठारह लाख रुपये मात्र) है। उक्त दर के अनुसार एन0पी0वी0 की धनराशि का आगणन रू0 31,89,875/- (अठारह लाख अठानवे हजार आठ सौ पचास रुपये मात्र) किया गया है, जिसका भुगतान प्रस्तावक विभाग द्वारा किया जायेगा।


वन क्षेत्राधिकारी
दक्षिणी जखोली रेंज


उप प्रभागीय वनधिकारी
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग


उप वन संरक्षक
रुद्रप्रयाग वन प्रभाग
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना (मु०मं०घो०) के अन्तर्गत सुमाडी विराणगांव जाखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 10 किमी० (वास्तविक लम्बाई 8.075 किमी०)

एन०पी०वी० की धनराशि में वृद्धि का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि यदि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा एन०पी०वी० की दर में कोई वृद्धि की जाती है तो प्रस्तावक विभाग उसे वहन करने हेतु सहमत है।


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


अधिशाली अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना (मु0मं0घो0) के अन्तर्गत सुमाडी विराणगांव जाखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 10 किमी0 (वास्तविक लम्बाई 8.075 किमी0)

वन भूमि के मूल्य का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रश्नगत प्रयोजन हेतु 3.7750 हे0 वन भूमि का वर्तमान बाजार दर से मूल्य रुपये 16.75 लाख प्रति हे0 है तथा वन भूमि का कुल मूल्य रु0 63.23 लाख होता है तथा वार्षिक लीज रेंट ----- प्रतिशत की दर से ----- रु0 होता है।

राजस्व उपनिरीक्षक

तहसीलदार
जखोली

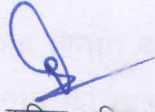
उपजिलाधिकारी
जखोली

जिलाधिकारी
रुद्रप्रयाग

परियोजना का नाम : जनपद रुद्रप्रयाग के विकासखण्ड जखोली में राज्य योजना (मु०मं०घो०) के अन्तर्गत सुमाडी विराणगांव जाखाल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु लोक निर्माण विभाग को वनभूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव, लम्बाई 10 किमी० (वास्तविक लम्बाई 8.075 किमी०)

प्रस्तावित परियोजना के लिये ली गई वन भूमि के सीमांकन करने हेतु आर०सी०सी० पिलरों का निर्माण

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित वन भूमि के सीमांकन/सर्वेक्षण हेतु आने वाले व्यय का भुगतान वन विभाग के पक्ष में किया जायेगा।


कनिष्ठ अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


सहायक अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग


अधिसासी अभियन्ता
प्रा० खण्ड लो०नि०वि०
रुद्रप्रयाग